REGD. NO. D. L.-33004/99



EXTRAORDINARY भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 657]	नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 31, 2015/चैत्र 10, 1937
No. 657]	NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 31, 2015/CHAITRA 10, 1937

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2015

का.आ. 880(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 2 की उप-धारा 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग ॥, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित अधिसूचना सं. का.आ. 689(अ), तारीख 4 अप्रैल, 2011 में एतद्वारा और निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, क्रम सं. 28 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

तालिका

	(11)(14)		
(1)	(2)	(3)	
"28	9	पंजाब राज्य में मलौत के समीप रारा 7 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर हरियाणा राज्य में	
		डबवाली, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, हांसी, रोहतक, बहादुरगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश राज्य में	
		मुरादाबाद, रामपुर, बिलासपुर, रूद्रपुर, सितारगंज, खटीमा, टनकपुर, पिथौरागढ़, ओगला को जोड़ते	
		हुए, और इंडो/नेपाल सीमा के समीप असकोट में समाप्त होने वाला राजमार्ग ।"	

[फा. सं. एनएच-14014/13/2015-पीएंडएम]

माया प्रकाश, निदेशक (पीएंडबी)

1455 GI/2015

(1)

टिप्पण: राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) और इसकी अनुसूची, भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस आर ओ 1180 तारीख 4 अप्रैल, 1957 द्वारा प्रकाशित की गई थी और इसे अधिसूचना संख्या का.आ. 689(अ), तारीख 4 अप्रैल, 2011 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था और पिछली बार संशोधन अधिसूचना संख्या का. आ. 132(अ), तारीख 12 जनवरी, 2015 द्वारा किया गया था ।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st March, 2015

S.O. 880(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (2) of Section 2 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India, in the Ministry of Road Transport and Highways published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) vide number S.O. 689(E), dated, the 4th April, 2011, namely:-

TABLE

(1)	(2)	(3)
"28	9	The highway starting from its junction with NH-7 near Malaut in the State of Punjab connecting Dabwali, Sirsa, Fatehabad, Hisar, Hansi, Rohtak, Bahadurgarh in the State of Haryana, Delhi, Ghaziabad, Moradabad, Rampur, Bilaspur in the State of Uttar Pradesh, Rudrapur, Sitarganj, Khatima, Tanakpur, Pithoragarh, Ogla and terminating at Askot near Indo/Nepal border in the State of Uttrakhand."

[F. No. NH-14014/13/2015-P&M]

MAYA PRAKASH, Director (P&B)

Footnote: The National Highways Act, 1956 (48 of 1956) and the Schedule thereto was published in the Gazette of India *vide* notification number S.R.O. 1180, dated 4th April, 1957 and was substituted *vide* notification number S.O. 689(E), dated 4th April, 2011 and last amended *vide* notification number S.O. 132(E), dated 12th January, 2015.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2015

का.आ. 881(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित तालिका के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक राजमार्ग को तत्संबंधी तदनुरूप स्तम्भ (2) में यथा-विनिर्दिष्ट राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करती है।

राजमार्गों, जिन्हें अब इस अधिसूचना द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया जाना है, को तालिका के स्तम्भ (1), (2) और (3) में यथा-निर्दिष्ट क्रमश: नई क्रम संख्याओं, नई राष्ट्रीय राजमार्ग संख्याओं तथा राष्ट्रीय राजमार्गों के विवरण के साथ उक्त अधिनियम की अनुसूची में अंत:स्थापित किया गया समझा जाएगा । तालिका

क्र. सं.	नई राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या	राष्ट्रीय राजमार्गों का विवरण
(1)	(2)	(3)
316	705	हिमाचल प्रदेश राज्य में थियोग में नई रारा सं-5 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर कोटखई, जुब्बल को जोड़ते हुए और हथकोटी में रारा सं707 के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग ।
317	707 ए	उत्तराखंड राज्य में टियूनी में रारा सं-707 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर चक्रता, भिडियाना, मसूरी, न्यू टिहरी को जोड़ते हुए और श्रीनगर में रारा सं7 के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग ।
318	309 बी	उत्तराखंड राज्य में अलमोड़ा के निकट नई रारा सं-109 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर रामेश्वर में नई रारा सं.9 के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग ।

[फा. सं. एनएच-14014/13/2015-पीएंडएम]

माया प्रकाश, निदेशक (पी एंड बी)

पाद टिप्पण: राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) और इसकी अनुसूची, भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस आर ओ 1180 तारीख 4 अप्रैल, 1957 द्वारा प्रकाशित की गई थी और इसे अधिसूचना संख्या का.आ. 689(अ), तारीख 4 अप्रैल, 2011 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था और पिछली बार संशोधन अधिसूचना संख्या का. आ. 132(अ) तारीख 12 जनवरी, 2015 द्वारा किया गया था ।

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st March, 2015

S.O. 881(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (2) of Section 2 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby declares each of the highways specified in the column (3) of the Table below to be a national highway, as specified in the corresponding column (2) thereof.

The highways, now declared to be national highways by this notification, shall be deemed to be inserted in the Schedule to the said Act with the new serial numbers, the new national highways numbers and the description of the national highways thereof, as indicated in columns (1), (2) and (3) respectively, of the Table.

Serial No.	New National Highway No.	Description of National Highways
(1)	(2)	(3)
316	705	The highway starting from its junction with new NH No. 5 at Theog connecting Kotkhai, Jubbal and terminating at its junction with NH No. 707 at Hatkoti in the State of Himachal Pradesh.
317	707A	The highway starting from its junction with NH No. 707 at Tiuni connecting Chakrata, Bhediyana, Mussoorie, New Tehri and terminating at its junction with NH No. 7 at Srinagar in the State of Uttrakhand.

TABLE

318	309B	The highway starting from its junction with new NH No. 109 near Almora and terminating at
		its junction with new NH No. 9 at Rameshwar in the State of Uttrakhand.

[F. No. NH-14014/13/2015-P&M]

MAYA PRAKASH, Director (P&B)

Footnote: The National Highways Act, 1956 (48 of 1956) and the Schedule thereto was published in the Gazette of India *vide* notification number S.R.O. 1180 dated the 4th April, 1957 and was substituted *vide* notification number S.O. 689(E), dated the 4th April, 2011 and last amended *vide* notification number S.O. 132(E), dated the 12th January, 2015.